न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 113 / 2022 उनवानी मेहराम बनाम सूरजमल

1. मेहराम पुत्र चन्दाराम
2. संतोष देवी पत्नी मेहराम
3. सीमा देवी पत्नी रमेश कुमार

सर्व जाति गुर्जर, सर्व निवासी महावीर कालोनी सांवतसर, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राज.।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. सूरजमल पुत्र भैंरू जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
2. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा कटसूरा तहसील अरांई।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 14.06.2024

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री अशोक शर्मा

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री अशोक शर्मा के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जरिये अभिभाषक निवेदन किया किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम देवपुरी पटवार हल्का देवपुरी तहसील अरांई में स्थित है जिसके खाता संख्या 504 के खसरा संख्या 150 रकबा 1.3834 हैक्टैयर स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का पृथक पृथक रूप से राजस्व रिकार्ड के अनुसार हिस्सा निहित है तथा इसी के अनुसार वे मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के उक्त आराजी के पास ही अप्रार्थी [illegible] की भूमि खसरा संख्या 149 रकबा 0.8414 हैक्टेयर स्थित है प्रार्थीगण अपनी आराजी में आने जाने एवं अन्य कृषि कार्य आवागमन के लिये खसरा संख्या [illegible] है किन्तु खसरा संख्या 149 में रास्ता रिकार्डेड नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण बाधा कारित करतें हैं। प्रार्थीगण को अपनी जोत खसरा संख्या 150 में सिचाई तथा आने जाने के लिये खसरा संख्या 149 [illegible]0 फीट चौडा जिसके लिये प्रार्थीगण निर्धारित डी.एल.सी. दर के अनुसार राशि देने के लिये तैयार एवं तत्पर है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग,

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.16 13:06:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

सिचांई तथा कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 149 में से 10 फीट चौडा रास्ता दिलवाने के आदेश फरमाने की कृपा करने का निवेदन किया।

2. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 को दिनांक 19.07.2023 को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस तामिल हुये लेकिन बावजूद विधिवत तामिल के वे अनुपस्थित रहे अतः दिनांक 02.02.2024 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 20.05.2024 को तहसीलदार अरांई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि पेश नजरी नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 149 की दक्षिणी सीमा के बिन्दु C से E तक रास्ता लघुत्तम है तथा यदि बिन्दु C से E तक 15 फीट चौडा रास्ता दिया जाता है तो बिन्दु C से D की किस्म पूर्व में ही गै.भु. रास्ता दर्ज है तथा ग्राम देवपुरी के खसरा संख्या 149 की वर्तमान डी.एल.सी. दर 7,20,963/— अक्षरे सात लाख बीस हजार नौ सौ छत्तीस रूपये के अनुसार 15 फीट रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0466 हैक्टेयर की निर्वापित राशि 33,595 /— होती है जिसकी दुगुना राशि 67190/-- अक्षरे सडसठ हजार एक सौ नब्बे रूपये बनती है। नजरी मानचित्र भू.अ.नि. दादिया एवं हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ पेश किया है, जो निम्न प्रकार हैः—

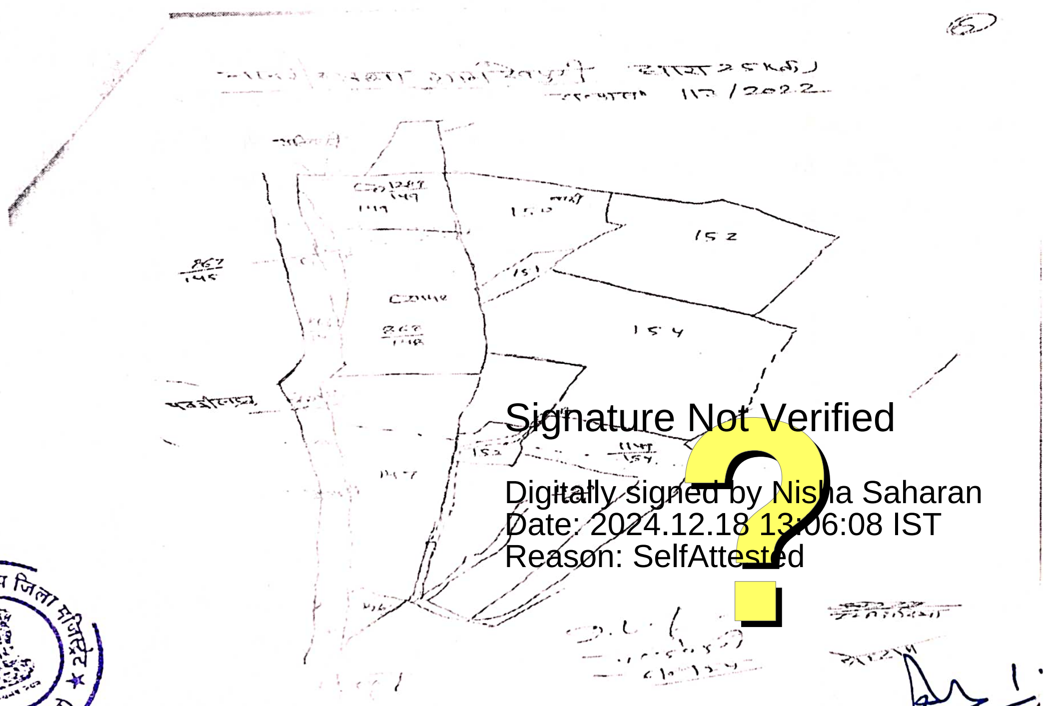

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:06:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट अराई(अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें हैः—

—: आदेश :—

प्रार्थी की ग्राम देवपुरी स्थित खातेदारी भूमि ख0नं0 150 में आवागमन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी मानचित्र अनुसार एवं पेरोकार सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 150 में आवागमन ख0नं0 149 से होना स्पष्ट होता है एवं उक्त रास्ता निकटतम रास्ता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम देवपुरी स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 149 में से 15 फीट चौडे रास्ते हेतु रिपोर्ट क्रमांक 1859 दिनांक 17.05.2024 के अनुसार 0.0466 हैक्टैयर भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी0एल0सी0 दर 720936/— रू0 प्रति हैक्टेयर के अनुसार ख0नं0 149 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0466 हैक्टेयर भूमि की मुआवजा राशि 33595/— रू0 एवं इसकी दोगुणा राशि 67190/— अक्षरे सडसठ हजार एक सौ नब्बे रू0, जो प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित खसरा नम्बर के खातेदार को तहसीलदार अरांई के माध्यम से देय होगी।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार अरांई को आदेशित किया जाता है कि रास्ते हेतु अधिग्रहित कुल रकबा 0.0466 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 67190/— अक्षरे सडसठ हजार एक सौ नब्बे रू0, रूपये प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने के पश्चात् आप उक्त रास्ते हेतु अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0466 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकार्ड में नवीन खसरा नम्बर दर्ज करते हुये राजस्व नक्शे में तरमीम करे तथा किस्म रास्ता सिवायचक दर्ज कर प्रार्थी द्वारा जमा राशि को आदेश में वर्णितानुसार अप्रार्थी संख्या 01 को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करावें। रिपोर्ट क्रमांक 1859 दिनांक 17.05.2024 को अन्तिम आदेश का एक भाग माना जावे तथा उसी के अनुसार रास्ते की तरमीम की जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप ... अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:06:08 IST
Reason: SelfAttested

निशा सहारण (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)